

न्यायालय तहसीलदार राजगढ जिला अलवर (राजस्थान)

प्रकरण सं- 02

प्रवेश दिनांक 25.05.2021

निर्णय दिनांक 05.08.2021

G.C.O.S No
2021
5

उत्नवान

1. राजस्थान सरकार जरिये पटवारी हल्का ढिगावडा तहसील राजगढ जिला अलवर

बनाम

1. बाबूलाल पुत्र हीरालाल

2. रमेश चन्द पुत्र श्रीराम

3. सुरेश चन्द तुलसीराम

जातीयान मीना निवासीयान बाढ ढिगावडा तहसील राजगढ जिला अलवर

आज पत्रावली पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप में वृत्तान्त निम्न प्रकार से है कि पटवारी हल्का ढिगावडा द्वारा ग्राम ढिगावडा के आराजी ख0 नं0 800/0.19 हैक्टेयर में से रकबा 0.0150 किरम बाराणी उत्तम खातेदारी कृषि भूमि में गैरसायलान बाबूलाल पुत्र हीरालाल रमेश चन्द पुत्र श्रीराम सुरेश चन्द तुलसीराम जातीयान मीना निवासीयान बाढ ढिगावडा तहसील राजगढ जिला अलवर द्वारा 0.0150 हैक्टे0 भूमि में दुकान निर्माण कर व्यावसायिक प्रयोजनार्थ बिना रूपान्तरण करवाये उपयोग किये जाने पर पटवारी हल्का द्वारा एल.आर.एक्ट 1956 की धारा 90 ए के तहत रिपोर्ट पेश करने पर रिपोर्ट दर्ज रजिस्टर कर गैरसायलान को नोटिस जारी किया गया। गैर सायलान सूचना के बावजूद अनुपस्थित रहे। गैरसायलान की अनुपस्थिति पर एकतरफा कार्यवाही अमल लाई जाती है। पटवारी हल्का रिपोर्ट का अवलोकन एवं मनन किया गया। गैरसायलान के द्वारा बिना सक्षम स्वीकृति के कृषि भूमि को अकृषि भूमि में परिवर्तन कर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 ए का उल्लंघन किया है। गैर सायलान द्वारा अपने बचाव में सुनवाई तिथि को न्यायालय में उपस्थित नहीं होने व कोई साक्ष्य सबूत पेश नही करने से प्रकरण नियमन योग्य नहीं पाया गया।

अतः बाबूलाल पुत्र हीरालाल रमेश चन्द पुत्र श्रीराम सुरेश चन्द तुलसीराम जातीयान मीना निवासीयान बाढ ढिगावडा तहसील राजगढ जिला अलवर के विरुद्ध बिना स्वीकृति के ग्राम बाढ ढिगावडा के आराजी ख0 नं0 800/0.19 हैक्टेयर भूमि में से 0.0150 हैक्टे0 पर व्यावसायिक प्रयोजनार्थ दुकान निर्माण कर उपयोग करने पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 ए सपडित धारा 91 के अन्तर्गत वेदखल कर लगान 0.525 रूपये का पचास गुणा राशि 27.00/- रूपया शास्ति आरोपित की जाती है। वसूली एवं कायमी हेतु पटवारी हल्का व तहसील राजस्व लेखाकार को लिखा जावे। चूंकि गैरसायलान का ये कृत्य कृषि भूमि को अकृषि भूमि में बिना सक्षम स्वीकृति उपयोग



तहसीलदार
राजगढ (अलवर)

कर लेने पर खातेदारी भूमि की शर्तों के उल्लंघन की श्रेणी में आता है। कृषि भूमि शर्तों का उल्लंघन किये जाने के कारण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 के अन्तर्गत सक्षम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद पूर्ति लेख भण्डार हो। आज दिनांक 05.08.2021 को लिखवाया जाकर मेरे द्वारा हस्ताक्षर किये गए। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(बाबूलाल मीना)
तहसीलदार
राजगढ़ (अलवर)

रा. खे. स. 4 वर्ष... 2021-22
पुस्तक संख्या... 20... प्र. नं. 304... 27/-
संश्लिष्ट कागज किये गये।
— (पेठक 3)
त. रा. लेखाकार